कार्यक्रम

16 फरवरी 2020, रविवार

प्रातः 8.00 से 10.00 बजे	:	पंजीयन एवं अल्पाहार
प्रातः 10.00 से 11.30 बजे	:	उद्घाटन सत्र
मध्याह्न 11.30 बजे	:	चाय
मध्याह्न 12.00 से 1.30 बजे	:	प्रथम तकनीकी सत्र
मध्याह्न 1.30 बजे	:	भोजन
अपराह्न 2.30 से 4.00 बजे	:	द्वितीय तकनीकी सत्र
सायं 4.15 से 5.15 बजे	:	समापन समारोह

तकनीकी सत्र

प्रथम सत्र – ऐतिहासिक कालक्रम में घुमन्तु जनजातियाँ एवं उनकी शौर्य गाथा
द्वितीय सत्र – घुमन्तु जनजातियों की सामाजिक –सांस्कृतिक, आर्थिक दशा एवं दिशा

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय

प्राकृतिक सौन्दर्य एवं संसाधनों से समृद्ध जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के उच्च और नवीन आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा की स्थापना हुई। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से बाँसवाड़ा, डूँगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के 143 महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त हैं। जिनमें लगभग एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दक्ष करना एवं जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को समाज एवं राष्ट्र हेतु तैयार करना है जिससे वे देश की तरक्की में अपनी भागीदारी तय कर सकें।

शोध पत्र

विषय से सन्दर्भित मौलिक शोध पत्र UNICODE में sangoshthiggtu2019@gmail.com पर 31 जनवरी 2020 तक प्रेषित करें।

आयोजक संस्था द्वारा प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं आवास की व्यवस्था रहेगी।

डॉ. अलका रस्तौगी
आयोजन सचिव
सम्पर्क: 9413625870, Email: anusocio72@gmail.com

राष्ट्रीय संगोष्ठी

घुमन्तु जनजातियाँ–दशा एवं दिशा

16 फरवरी 2020

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा

घुमन्तु जनजातियाँ - दशा एवं दिशा

प्रस्तावना

भारतीय समाज का सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा वर्ग है – विमुक्त एवं घुमन्तु जनजातीय समुदाय, जिसके अधिकांश सदस्यों के पास न आधार कार्ड है, न ही मतदाता कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र । इनके अधिकतर परिवारों के पास न सिर ढकने को घर है और न ही कोई स्थायी निवास स्थान।

समाज के अभिन्न अंग

कभी सड़क किनारे लोहा पीटते 'गाडिया लुहार', शंकर–हनुमान का वेश धारण कर लोगों का मनोरंजन करते 'बहुरूपिये', भालू और बंदरों के खेल दिखाकर सबको हंसाते कलंदर' एवं 'मदारी', हिरण के सींग और जड़ी–बूटियों से इलाज करते 'सिंगीवाल', सांपों को पकड़ने और बीन की धुन पर सर्पो को नचाते 'सपेरे', मिट्टी के खिलौने बेचते 'कुनबंदा',लोक देवताओं का आख्यान गाते 'भोपा', घर–घर जाकर चून (आटा) मांगते जोगी, जानवरों का शिकार कर या मृत जानवारों के अंगों का व्यापार करते 'बावरिये' एवं 'सांसी' जैसी जनजातियों के लोग समाज के अभिन्न अंग हुआ करते थे। हथियारों तथा चाकू–कैंची पर धार लगाते 'सिकलीगर', दो बांसों पर रस्सी बांधकर करतब दिखाते 'नट' भी इसी श्रेणी में आते हैं।मल्लाह, केवट, निषाद, बिन्द, धीवर, गडरिया, बघेल, डोम, रेबारी, नाथ, नायक, बहेलिया, पारधी, कंजर आदि भी ऐसी ही जनजातियाँ हैं।

पारम्परिक व्यवसाय में अवरोध

यातायात, मनोरंजन, नृत्य–संगीत, कला, शिल्प, जड़ी–बूटियाँ, संदेश–प्रसारण, ग्रामीण चिकित्सा आदि के क्षेत्र में विमुक्त–घुमन्तु वर्ग का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान था, परन्तु, जैसे–जैसे समाज का विकास होता गया, इनका पारम्परिक व्यवसाय समाप्त होता चला गया। वन अधिकार, वन्य जीव संरक्षण, मेडिकल प्रैक्टिशनर, जानवरों पर क्रूरता–रोकथाम जैसे कानून बन जाने से इनके कई व्यवसाय गैर–कानूनी बन गए।

शौर्य गाथा

अनेक शोधकर्त्ता व इतिहासकारों का मानना है कि सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक घुमंतु जातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में बड़ी भूमिका निभायी थी। हथियार बनाने से लेकर साजो–सामान जुटाने व सूचनाएँ पहुँचाने में इन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी। गाड़िया लुहारों का महाराणा प्रताप को मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अपने त्याग और बलिदान का परिचय देना जग जाहिर है।

जन्मजात अपराधी घोषित

अंग्रेजी सरकार ने सन् 1871 में आपराधिक जनजातियाँ अधिनियम' कानून बनाकर घुमन्तु समाज की अधिकांश जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इनको गाँव–शहर में बसने की अनुमति नहीं थी। इन्हें न्यायालयों में सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया। घुमन्तु समुदाय की छवि चोर, लुटेरों व हत्यारों की बना दी गई।

सन् 1952 में यद्यपि 1871 के काले–कानून को समाप्त कर दिया, तो भी लोग इनको अपने गाँव–कस्बों के पास बसने से रोकते हैं। इनकी छवि आज भी अपराधी वाली बनी हुई है।

उपेक्षा के शिकार

विमुक्त–घुमन्तु जातियों के व्यावसायिक व अन्य प्रकार के पुनर्वास की चिंता न सरकारों ने की और न ही समाज ने की। कुछ योजनाएँ बनायी भी गई, परन्तु वे जमीन पर साकार नहीं हो सकी।

लगभग 1500 विमुक्त/घुमन्तु जनजातियाँ हैं । इनमें से अधिकांश जनगणना में शामिल नहीं हैं। यद्यपि बहुत सी घुमन्तु जनजातियाँ या तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई हैं, लेकिन खानाबदोश होने के कारण न तो इनका जाति–प्रमाण पत्र बनता है, न ही राशन कार्ड या आधार कार्ड। 81 वर्षों की सरकारी गुलामी व सामाजिक उपेक्षा की शिकार ये जातियाँ शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़ती चली गयी।

आयोग

इन जातियों की पहचान करने तथा इनके कल्याण एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा गठित 'बालकृष्ण रेणुके आयोग' की रिपोर्ट (2008) पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 'दादा इदाते आयोग द्वारा फरवरी, 2019 में प्रस्तुत 20 सूत्रीय सिफारिशों पर कार्यवाही विचाराधीन है।

यह सेमीनार उपरोक्त पृष्ठभूमि में विमुक्त व घुमन्तु जनजातियों का ऐतिहासिक पुनरावलोकन करते हुए इस समुदाय के आस्था केन्द्र, इनकी लोक संस्कृति, इनके संघर्ष व शौर्य गाथा पर चर्चा के साथ ही इस समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा तथा विकास की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा इनके कल्याण एवं विकास में सहायक सिद्ध होगी– ऐसा विश्वास है।